संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A3-44/2016

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

06 जनवरी 2017

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : ~~दिसम्बर,~~ 2016

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या–मान्यता/सम्बद्धता/2016/999 दिनांक 08.03.2016 एवं उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या–3(23)16 की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 (2) (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है :–

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	यूनिटी लॉ कॉलेज, काशीपुर रोड, रूद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर	बी0ए0– एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय)	180 सीट (60–60 सीट के 03 सैक्शन)	सत्र 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 हेतु
		एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय)	240 सीट (60–60 सीट के 04 सैक्शन)	

1. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र हेतु संस्थान का नियमानुसार निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा भौतिक निरीक्षण में पाई गई कमियों का पूर्णरूप से निराकरण कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियॉ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
4. छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा यू0जी0सी0/नियामक संस्थान/विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नही किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो

क्रमश– 2 पर

सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

5. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, नियामक संस्थान, शासन, एवं मा0 कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
6. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरूद्व विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति/शासन/नियामक संस्थान के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठयक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
8. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी के सदस्यों के वेतन का भुगतान बैंक में फैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्थान के सम्बन्धित पाठयक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
9. सस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को नियमानुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
10. संस्थान द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी। अन्यथा अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 4163 **(1)/जी0एस0/A3-44/2016 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद, 21, राउज ऐवन्य इन्सटीट्शनल एरिया, नई दिल्ली–110002।
4. प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान।
5. उच्च शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
6. कम्प्यूटर एकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
अनुसचिव।